FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** UNA **Year(वर्ष):** 2023
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0005 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 28/12/2023 11:36 AM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** Thursday **Date From(दिनांक से):** 28/12/2023 **Date To(दिनांक तक):** 28/12/2023
      Time Period (समय अवधि): Pahar 1 **Time From (समय से):** 12:00 AM **Time To (समय तक):** 12:00 AM

   (b) **Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date(दिनांक):** 28/12/2023 **Time (समय):** 10:30 AM

   (c) **General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):** **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 012 **Time (समय):** 28/12/2023 10:51 AM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 15 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**

      (b) **Address(पता):** Ishpur

      (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
      Name of P.S(थाना का नाम): **District(State)(ज़िला(राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name(नाम):** Dinesh Kumar

   (b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष):** 1978 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) **UID No (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

   (g) **Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	VILLAGE-VPO Pandoga Uparla, TEHSIL-Ishpur, PS-HAROLI, DISTRICT-UNA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-VPO Pandoga Uparla, TEHSIL-Ishpur, PS:HAROLI, DISTRICT-UNA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थाई पता)
1	Ravinder Jaswal		STREET NAME-Ishpur,VILLAGE-Tehsil Ishpur,PS-HAROLI,DISTRICT-UNA, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	STREET NAME-Ishpur,VILLAGE-Tehsil Ishpur,PS-HAROLI,DISTRICT-UNA, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

दिनांक 28.12.2023 को शिकायतकर्ता श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सत पाल गांव व डा0 पंडोगा उपरला उप तहसील ईसपुर जिला ऊना द्वारा दी गई शिकायत की प्रारंभिक जांच हेतु उप नि0 जसवीर चन्द को दी गई थी। उप नि0 जसवीर चन्द ने प्रारम्भिक जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शिकायत का मजबून इस प्रकार से है- श्रीमान जी , राज्य सर्तकता एंव रोधी व्यूरो मुख्यालय शिमला से प्राप्त पत्र सं0SV&ACB (R-NR/VHQ)Comp.(DMA)78/2023-24576 dated 9-11-2023 आगामी गोपनीय जांच हेतु शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप है कि उप तहसील ईसपुर जिला ऊना में श्री शुभकुमार नायब तहसीलदार तैनात है जिसने खूब भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है।तथा अर्जी नवीसो से मिलकर पैसे लेता है। इसके साथ कानूनगो विपन भी मिला हुआ है।इस शिकायत पत्र की गोपनीय जांच के लिए दिनांक 16-12-2023 को मन उप नि0 जब ईसपुर व पंडोगा के बीच था तो दिनेश कुमार नाम का व्यक्ति मिला जिसने वतलाया कि उसका उप तहसील ईसपुर में जमीन की तकसीम का मामला नंवर 44/P/NTI/2023 खेवट नंवर 224लंबित है। नायब तहसीलदार व रीडर अर्जी नवीस सोनू के माध्यम से ही पैसे के लेन देन की बात करते हैं सीधे तौर पर नहीं।इस पर दिनेश कुमार को सोनी रिकार्डर मय मैमरी कार्ड simmtronics 8GB दिया तथा device चलाना सिखाया व रिश्वत की मांग व अन्य बातचीत से संबंधित रिकार्डिंग करने की हिदायत दी गई। दिनांक 19-12-2023 को मन उप नि0 मय आ0 मनोज कुमार के ईसपुर में दिनेश कुमार से मिला जिसने दिनांक 16.12.2023 से 19.12.2023 तक का ब्यौरा दिया तथा मैमोरी कार्ड में रिकार्डिंग के बारे में बतलाया जिसे सुना गया। रिकार्डिंग सुनने पर यह पाया गया कि ईसपुर उप तहसील में तैनात नायब तहसीलदार शुभ कुमार व रीडर का तालमेल सच में सोनू नाम के अऱजी नवीस के माध्यम से है तथा सोनू ही पैसे के लेन – देन व काम करवाने के लिए बिचौलिये के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दिनांक 16.12.2023 को दिनेश कुमार को दिया गया मैमोरी कार्ड अपने पास लिया गया तथा रिकार्डिंग डिवाईस में नया मैमोरी कार्ड डालकर दिनेश कुमार को दिया गया तथा निर्देश दिया गया कि इसके बाद रिश्वत की मांग की बातचीत की रिकार्डिंग की जाए।आज दिनांक 28.12.2023 को दिनेश कुमार ने बजरिया फोन मन उप नि0 को ईसपुर में मिलने हेतु फोन किया जिस पर मन उप नि0 मय आ0 मनोज कुमार के मय सरकारी लैपटॉप व प्रिंटर के ईसपुर पहुंचा जहां पर दिनेश कुमार ने रिकार्डिंग डिवाइस व एक शिकायत पत्र अलग से प्रेषित किया जिसका मजबून जैल है:- "सेवा में, DSP विजीलैंस ,ऊना। विषय :- जमीनी तकसीम की एवज में पैसे की मांग । निवेदन है कि मैं गांव पंडोगा का रहने वाला हूं तथा सेना से रिटायर हूं। मैंने 5-6 माह पहले उप तहसील ईसपुर मे जमीन की तकसीम का केस डाला है। जिसे पहले खारिज कर दिया था। जिसे मैने तकसीम का केस नं0 44/P/NTI/2023 दोवारा डाला है। जिसकी तारीख दिनांक 28.12.2023 को तय है। दिनांक 16-12-2023 को मैं, विजीलैंस ऊना में कार्यरत जसवीर चंद से मिला, जिन्हें मैंने अपनी जमीनी तकसीम के केस व उसे लटकाने वारे वात की तथा यह भी वतलाया था कि रीडर व नायब तहसीलदार सोनू नाम के अरजी नवीस के माध्यम से पैसे की मांग करते हैं तथा सोनू से मिलने के बाद ही काम करते हैं। सीधे तौर पर खुद पैसे की मांग नही करते। दिनांक 16.12.2023 को जसवीर चन्द ने मुझे एक सोनी वाइस रिकार्डर में एक मैमोरी कार्ड डालकर दिया व रिकार्डर को चलाने की विधि भी समझाई व बोला कि सोनू व संबंधित अधिकारियो से अपने काम के वारे मे वातचीत करे व जो भी वातचीत हो उसकी रिकार्डिग रिकार्डर में रिकार्ड करे। दिनांक 16-12-2023 को मैं उप तहसील ईसपुर में नायब तहसीलदार के रीडर से मिला, उसने मुझे कहा कि सोनू से मिलने को कहा। दिनांक 18-12-2023 को मैंने सोनू से उसके फोन पर अपने फोन से बातचीत की जिसे मैंने रिकार्डर में फोन का स्पीकर ऑन करके रिकार्ड किया जिसमें सोनू ने कहा कि उसकी नायब तहसीलदार से बातचीत है। दिनांक 19.12.2023 को मैं खुद उप तहसील ईसपुर जाकर सोनू से मिला जिसने मुझे नायब तहसीलदार से मिलवाया और नायब तहसीलदार ने मुझे कहा कि 28.12.2023 को तेरा काम कर देंगे। इस मुलाकात के बाद सोनू ने मुझे नायब तहसीलदार के ऑफिस के बाहर आकर कहा कि हजार-दोहजार रुपये साहब को देकर तेरा काम करवा देंगे। उपरोक्त बातचीत को भी मैंने रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। दिनांक 19.12.2023 को ही जसबीर चन्द मुझे ईसपुर में मिले जिन्हें मैने 16.12.2023 से 19.12.2023 तक हुई सारी बात बताई व उन्हें वॉइस रिकार्डर दे दिया। इसके बाद जसबीर चन्द ने मुझे वॉइस रिकार्डर में से पुराना मैमोरी कार्ड निकालकर नया मैमोरी कार्ड डालकर मुझे दे दिया व कहा कि इसके बाद उपरोक्त अधिकारियों व सोनू से जो भी बातचीत होगी वह इसमें रिकार्ड कर ले। इसके बाद दिनांक 21.12.2023 को मैंने अपने फोन से सोनू के फोन पर बात करी तो सोनू ने कहा कि

3-4 दिन बाद ही आना तथा कहा कि 2000/- रुपये ले आना, जब मैंने पूछा कि किसको देने तो उसने कहा कि ऊपर साहब व नीचे बाबू को देनें तभी काम होना है। जब मैंने पूछा बाबू कौन तो उसने कहा रिडर। उपरोक्त बातचीत को भी मैंने वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। आज दिनांक 28.12.2023 को मेरी तकसीम मामले में तारीख तय है अथवा आज सोनू दिनांक 21.12.2023 को मांगे गए रिश्वत के 2000/- रुपये नायब तहसीलदार व उसके रिडर को देने के लिए मांगेगा जो मैं यह रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा सोनू, अरजी नवीस, तहसीलदार व उसके रिडर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। इस शिकायत पत्र के सत्यापन हेतु दिनेश कुमार द्वारा जो सोनी वॉयस रिकार्डर पेश पुलिस किया गया । उसका मैमरी कार्ड निकालकर कार्ड रीडर में डालकर सरकारी लैपटाप में सुना गया। जिसमें दिनांक 21.12.2023 को दिनेश कुमार द्वारा की गई रिकार्डिंग में सोनू अरजी नवीस 2000/- रुपये नायब तहसीलदार व उसके रिडर को देने के लिए दिनेश कुमार से माँग कर रहा है।

शिकायतकर्ता दिनेश कुमार के नाम व पता व अन्य जानकारी की पुष्टि हेतु आधार कार्ड की छायाप्रति व तकसीम का मामला नंवर 44/P/NTI/2023 खेवट नंवर 224 संबधित दस्तावेज की छायाप्रति हासिल की गई। तथा प्रारंभिक सत्यापन में पाया गया कि उप तहसील ईसपुर में वतौर अर्जी नवीस सोनू काम करता है जिसका पूरा नाम रविन्द्र जसवाल उर्फ सोनू है तथा यह नायब तहसीलदार व रिडर का बिचौलिया है जिसका यह कृत्य धारा 12 PC Act 2018 की जद में आना पाया गया है। नायब तहसीलदार शुभ कुमार व रिडर का कृत्य दौराने अन्वेषण साबित होगा। जो उपरोक्त जुर्म में सन्दिग्ध सोनू उर्फ रविन्द्र जसवाल अरजी नवीस के खिलाफ अभियोग पंजीकरण करने की सिफारिश की जाती है। " कार्यवाही पुलिस:- SI जसवीर चन्द के द्वारा प्रारम्भिक छानबीन करके रिपोर्ट का बारिकी से अवलोकन किया गया । विवरण रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त रिपोर्ट शब्द व शब्द लिखा गया। उप नि0 जसवीर चन्द की अनुशन्सा के अनुसार रविन्द्र जसवाल उर्फ सोनू अर्जीनवीस उप तहसील कार्यालय ईसपुर के खिलाफ जुर्म जेर धारा 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के बकूह में आना पाया जा रहा है । उपरोक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा जेर धारा 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पंजीकृत थाना किया गया। FIR की प्रतियां वजरिया प्रिन्टर निकाली जा रही है। जो वराये मुलाहजा अदालत मिजाज व वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा में भेजी जा रही है । मुकदमा विशेष प्रतिवेदित है तथा FIR को ही विशेष प्रतिवेदन समझा जाये । मिस्ल मुकदमा वराये तफ्तीश निरिक्षक नरेश कुमार के हवाले किया जा रहा है ।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Naresh Kumar **Rank (पद):** INSP. (Inspector)

No(सं.): **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Kulvinder Singh
Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)
No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)